



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032025-261602
CG-DL-E-13032025-261602

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 13, 2025/फाल्गुन 22, 1946

No. 138]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 13, 2025/PHALGUNA 22, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2025

सा. का. नि. 173(अ).—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 202(अ), दिनांक 15 मार्च, 2024 के अतिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गयी या छोड़ी गयी वस्तुओं के सिवाए, केंद्र सरकार एतद्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- | | |
|---|-----------|
| 1) माननीय सुश्री न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह | - अध्यक्ष |
| 2) माननीय श्री न्यायमूर्ति अमित बंसल | - सदस्य |
| 3). माननीय श्री न्यायमूर्ति सचिन दत्ता | - सदस्य |

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2025 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. पी. डी. 13004/01/2019-कोफेपोसा]

नरेश कुमार, निदेशक (कोफेपोसा)

पाद टिप्पणी: दिनांक 15 मार्च, 2024 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 202(अ) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड- (i) में क्रमशः दिनांक 15 मार्च, 2024 को प्रकाशित हुई।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2025

G.S.R. 173(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and in supersession of the Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) G.S.R. No. 202(E) dated 15th March, 2024 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes an Advisory Board for a period of one year, consisting of :-

- (i) Hon'ble Ms. Justice Prathiba M. Singh - Chairperson
- (ii) Hon'ble Mr. Justice Amit Bansal - Member
- (iii) Hon'ble Mr. Justice Sachin Datta - Member

2. This Notification shall come into force with effect from 23rd March, 2025.

[F. No. PD-13004/01/2019-COFEPOSA]

NARESH KUMAR, Director (COFEPOSA)

Footnote: The Notification G.S.R No. 202(E) dated 15th March, 2024 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub Section (i) on the 15.03.2024.